संख्या-21/2016 /2023/ सत्रह-म- 2016 -।।-।-अ-(4)/2006

प्रेषक

दीनानाथ गुप्ता
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2016

विषय अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक - 2405 मछली पालन - आयोजनेत्तर - 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत (द्वितीय किश्त) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 71 ले0शा0/बजट /2016 -17 दिनांक 25/10/2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर - 190 - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता की मानक मद 31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 515.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 459.407 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 11/2016/812/ सत्रह-म-2016- ।।- 1 -अ (4)/ 2006 दिनांक 03 मई 2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर - 190 - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता की मानक मद 31 - सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत धनराशि रू0 55.593 लाख की वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या 11/2016/812/ सत्रह-म-2016- ।।-1 -अ (4)/ 2006 दिनांक 03 मई 2016 में दी गयी शर्ते यथावत लागू रहेगीं।

4- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर - 190 - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) के075/रा0 25- के0 रा0) की मानक मद 31- सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016- 231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(दीनानाथ गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या 21/2016/2023/सत्रह-म-2016 तददिनांक

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय - नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल दिवेदी)
अनुसचिव ।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।